

न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

फोन नं. 07744-22814, 07744-220700 फैक्स नं. 07744-22814, ई-मेल: dj.rajnandgaon@nic.in

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

कमांक 15/कु.न्या.भर्ती/तीन-3-4/2017

राजनांदगांव, दिनांक, 05/08/2017.

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि- 05/09/2017 संध्या 5.00 बजे तक

न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड-तीन एवं अन्य आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति 10%				अनुसूचित जनजाति 27%				अन्य पिछड़ा वर्ग 14%							
			मु.	म.	वि.	भू.पू. से	मु.	म.	वि.	भू.पू. से	मु.	म.	वि.	भू.पू. से	मु.	म.	वि.	भू.पू. से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
2.	सहायक ग्रेड-03	03	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-
3.	अन्य आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर)	02	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
	योग	06	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	03	01	-	-

रिक्त पदों का विवरण

संकेतक:- म.-मुक्त, म.-महिला.

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर(हिन्दी) के पद के लिए -

अ- वेतनमान वेतन बैंड रुपये 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपये 2800/- (संशोधित वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
2. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश/अन्य राज्य से शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(2) सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए -

अ- वेतनमान वेतन बैंड रुपये 5200-20200/- ग्रेड वेतन रुपये 1900/- (संशोधित वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
2. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश/अन्य राज्य से शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(3) अन्य आकस्मिकता निधि के पद के लिए -

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा-पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एवं सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र(यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।
----------------------------------	---

टीप :- ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास एल.एम.व्ही का वैद्य ड्रायव्हींग लायसेंस हो/इलैक्ट्रीशियन/प्लम्बर का डिप्लोमा आई.टी.आई. से हो, कुकिंग का प्रमाण-पत्र हो, उन्हें इस संबंध में वरीयता दी जायेगी। सभी कक्षा पांचवी स्तर पर कम प्राप्तांक के आवेदकों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने से अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-

- (1) रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
 - (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - (ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (2) छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी पात्र होंगे, जिन्होंने 05 अगस्त 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली गई हो।
- (3) छ.ग. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की होगी।
- (4) छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों के लिये कैलेण्डर वर्ष 2017 की समाप्ति के पूर्व केवल एक बार के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट निर्धारित है। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन क्र. एफ-3-2/2002/1-3, दिनांक 20.12.2013 एवं परिपत्र दिनांक 27.09.2013) विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत् लागू रहेगी, किंतु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- (एक)(2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र.दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

- (एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- स्पष्टीकरण-छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।
- (एक)(5)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (एक)(6)- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- (एक)(7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- (एक)(8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (एक)(9)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- (दो)(1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (दो)(2)- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी तरह राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.-19-2/2005/1/3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

- टीप:- (1) बिन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
 (2) बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार

per

Amr

Amr

रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण:- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 05 सितम्बर 2017 की संध्या 5.00 बजे तक बंद पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर-हिन्दी/सहायक ग्रेड-3/अन्य आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव (छ0ग0) के कार्यालय में प्रेषित किये जा सकते हैं कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। केवल अंतिम तिथि दिनांक 05/09/2017 को संध्या 5.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास विकलांगता इत्यादि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं 5-5 रुपये का डाक टिकिट पर स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा।

2- विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव (छ0ग0) के शासकीय वेबसाईट www.ecourts.gov.in/rainandgaon में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

3- ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।

4- जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

5- ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

6- आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा एक स्वप्रमाणित रंगीन पोस्टकार्ड साईज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

7- पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

सहायक ग्रेड तीन तथा स्टेनोग्राफर हिन्दी की नियुक्ति हेतु चयन विधि

प्रारम्भिक छटनी- अभ्यर्थियों की संख्या, चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक उपाधि के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार दस गुना के सीमा के लगभग आवेदकों की छटनी कर दी जायेगी। सहायक ग्रेड-3 के ऐसे आवेदक जो हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण है तथा स्टेनोग्राफर हिन्दी के ऐसे आवेदक जो अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण है, उन्हें इस संबंध में छुट रहेगी, शेष सभी स्नातक स्तर पर कम प्राप्तांक के आवेदकों को आगामी चयन प्रक्रिया में शामिल होने से अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

1. स्टेनोग्राफर हिन्दी— उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 2.5 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये एक अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

2. सहायक ग्रेड तीन —

(अ) कौशल परीक्षा— उम्मीदवारों को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि पर एक अंक काटा जायेगा। कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी।

(स) मेरिट सूची— कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

टीप— स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिये आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।

स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद हेतु —

01. डिक्टेशन/श्रुतलेख/कम्प्यूटर टायपिंग — 250 अंक

टीप— हिन्दी आशुलिपि के अभ्यर्थी को अंग्रेजी आशुलिपि उत्तीर्ण होने पर 10 अंक अतिरिक्त रूप से वरीयता कम निर्धारण हेतु दिया जावेगा।

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु —

02. कौशल परीक्षा — 250 अंक


अन्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा निर्धारित दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी की चयन प्रक्रिया :-

अभ्यर्थियों क और चयन के अग्र प्रक्रिया के अन्तर्गत क्षमता एवं कौशल की जाच हेतु साक्षात्कार लिया जावेगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर चयन सूची जारी कि जावेगी।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

- उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी। प्रथमतः रिक्त पदों पर नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी। परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगी।
- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव (छ0ग0) का होगा।
- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
- चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।







8. चयन प्रक्रिया के संबंध में न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव (छ0ग0) का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
9. आरक्षण के संबंध में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटिशन लंबित है अतः माननीय उच्च न्यायालय में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन किया जावेगा।
10. महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उस संवर्ग के पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।
11. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
12. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
13. आवेदक न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव (छ0ग0) की वेबसाईट www.ecourts.gov.in/rainandgaon से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
14. दिनांक 05 सितम्बर 2017 की शाम 05.00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव (छ0ग0) के वेबसाईट www.ecourts.gov.in/rainandgaon तथा सूचना पटल पर दिनांक 20/09/2017 तक प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 03 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् दिनांक 25 सितम्बर 2017 को प्रकाशित की जायेगी।
15. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।
16. उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। आवेदक प्रवेश पत्र को पूर्णतः भरकर साथ लावें। उम्मीदवार को पात्र अंतिम सूची के अनुक्रमांक की जानकारी न्यायालय के वेबसाईट www.ecourts.gov.in/rainandgaon से प्राप्त करनी होगी, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

महत्वपूर्ण टीप:- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

राजनांदगांव

दिनांक -05-08-17



न्यायाधीश,

कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव
(छ0ग0)







आवेदन पत्र का प्रारूप
(स्टेनोग्राफर-हिन्दी एवं सहायक ग्रेड-3, अन्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत जिलाधीश के द्वारा निर्धारित दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु)
(पंजीकृत डाक से ही भेजे)

प्रति,

न्यायाधीश,
 कुटुम्ब न्यायालय
 राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित
--

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
 (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
3. लिंग- पुरुष संकेतक-1, महिला संकेतक-2
4. पिता/पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
 (हिन्दी में) :
 (ब) स्थाई पता :
 :
 :
6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)

--	--	--	--	--	--	--	--

 (शब्दों में) :
- (ब) दिनांक को आयु :- वर्ष माह दिन
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं
 (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/
 अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ/नहीं
 (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक

11. रोजगार कार्यालय का नाम

12. क्या आप विवाहित हैं? हों/नहीं

13. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

14. जीवित बच्चों की संख्या

क्र०	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2.	3.	4.

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हों/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

X

Amey

Amey

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर—

नाम एवं पूरा पता—

मोबाईल नं.—

ई-मेल—

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरे)







कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

--: प्रवेश पत्र :-

सहायक प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर हिन्दी/सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु।

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं दिनांक
सहित

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:-	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	:-	
आवेदित पद का नाम	:-	
अभ्यर्थी का नाम	:-	
पिता/पति का नाम	:-	
वर्ग-		
(अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.)	:-	
परीक्षा तिथि	:-	
समय	:-	
परीक्षा केन्द्र	:-	

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

कार्यालयीन उपयोग हेतु।

वास्ते/कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव
(छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश:-

- 1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा के केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे। पृथक से प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाइट www.ecourts.gov.in/rajnandgaon से प्राप्त करें।
- 3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्कुलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, ब्लू टूथ आदि रखाना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावे।
- 5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।